SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of राजेश नामदेव Magistrate **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया, जिला छिंदवाड़ा** Case No. 556 of 2023 Complaint or report made on ----------

Name and address of the complaint म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परासिया

Registration No. 556/23
Filling No. 1385/23
CNR No. MP2805-001654-2023
Filing Date 03.08.23

Name, parentage, caste and address of accused

बिसमिल्ला पिता स्व. रहीम खान उम्र 70 वर्ष
निवासी वार्ड नं. 10 भट्टी मोहल्ला परासिया
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

The offence complained of, and date of, its alleged commission

आरोपीगण पर धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूर्त अधिनियम, 1867 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि तुमने दिनांक 13.07.2023 के 15:30 या उसके लगभग स्थान आरोपी के घर के सामने, आरक्षी केन्द्र परासिया, जिला छिंदवाड़ा में रूपये पैसों का दाव लगाते पाये गये। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूर्त अधिनियम, 1867 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अतः प्रकट करो कि क्या आप दोषी होने का अभिवाक् करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

राजेश नामदेव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)-

राजेश नामदेव
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) Clause (e) Clause (f) pt clause (g),of Sub- section (I) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

निर्णय

(आज दिनांक 03.08.2023 को घोषित)

1— आरोपीगण/आरोपी पर धारा 4(क) सार्वजनिक द्यूर्त अधिनियम, 1867 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभियोग हैं।

2— आरोपीगण/आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये एव समझाये जाने पर आरोपीगण/आरोपी ने अपराध करना स्वैच्छया स्वीकार किया।

3— अभियुक्तगण/आरोपी के स्वैच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण/आरोपी को धारा 4(क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाता है।

4— अभियुक्तगण/आरोपी द्वारा कारित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण/आरोपी को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना यह न्यायालय उचित नहीं समझता।

5— अभियुक्तगण/आरोपी द्वारा कारित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार दण्डित किया जाता है :—

क्र.	आरोपी का नाम	धारा	कारावास कठोर	अर्थदण्ड रूपये	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में साधारण कारावास
1.	बिसमिल्ल	धारा— 4(क) सार्व. द्युत अधिनियम	न्यायालय उठने तक की सजा	1,000/—	7 दिवस

6— प्रकरण मे जप्तशुदा मुद्देमाल नगदी 510/— रूपये राशि राजसात् की जाकर कोषालय में जमा की जावे व शेष मुद्देमाल नष्ट किया जावे।

निर्णय, हस्ताक्षरित—दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(राजेश नामदेव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

(राजेश नामदेव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

RAJESH NAMDEO

Digitally signed by RAJESH NAMDEO
Date: 2023.08.03 17:24:22 +0530